

2021/654

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

खाता बुरस्ती आवेदन-पत्र

(भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत)

श्रीमान् उपरखण्ड अधिकारी महोदय

सोंगोद

विषय- राजस्व रिकार्ड बुरस्ती के सम्बन्ध में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नाम की वर्तमान
जमाबंदी संवत् की खाता संख्या में
मेरा अशुद्ध नाम/जाति दर्ज है।
जबकि मेरा शुद्ध नाम/जाति हैं।
अतः उक्तानुसार बुरस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक :

प्रार्थी

नासरवादी

रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू. अभि. निरीक्षक

मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी के अशुद्ध नाम/जाति के
स्थान पर शुद्ध नाम/जाति दर्ज किया जाना उचित है
अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

भू. अभि. निरीक्षक वृत्त
8-5-14

पटवारी हल्का
A

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मुंबय ७७९ तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक मुंबय ७७९
के अनुसार प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति जोसरवार पुत्री बरवार शारि शेष गतव्य
रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंखा की जाती है।


तहसीलदार सांगोद

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी मुंबय ७७९ तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक मुंबय ७७९

तहसीलदार सांगोद की अभिशंखा के आधार पर प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति जोसरवार पुत्री बरवार

उमर शेष दर्ज रिकार्ड की जाए।

उपरखण्ड अधिकारी
उपखण्ड सांगोद
सांगोद जिला कोटा

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

(शिविर स्थान)

आदेश

दिनांक 11-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व

जिला की जमाबन्दी संख्या में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	कांगवा	86	जोसलवार डूनी बरबल पारि मेड	जोसलवार डूनी बरबल पारि मेड

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

दिनांक :- 16/11/21

क्रमांक :- 2823

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
जिला कोय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर